SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Essar Oil Limited for diversion (under FCA-1980) of 0.0783 ha. of forest land for non-forestry purpose. The Project envisage the use of forest land for construction of approach road to new retail outlet located at Aligarh-Ramghat Road km Ch. 9.10, RHS Khasra no. 176, Village-Harduaganj, District- Aligarh. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated 23.10.2019

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a Protected Forest measuring 0.0783 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 of part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna in the area. If so, the details thereof. - Nil.

Whether any protected archaeological/heritage site/defense establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from competent authority, if required.- Nil

a. The user agency has violated the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper'sanction.

b. It has been found that the user agency has violated the Forest (Conservation) Act, 1980 provisions. a detail report as per para 1.9 of chepter-1; para C of handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 is attached

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Place- Aligarh Dated 23.10.2019

(N.P. Upadhyay) Divisional Director,

Social Forestry Division, Aligarh.


N.B.

0

x state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted. xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number- 2-2/2000-FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less then 40 hectare of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectare of forest land site inspection report from the Conservator of Forests is required.

एसाट ऑयत लिंग दार अलीगट-शावाट माउ किमी मा का क्या - 178 भाष हरूदुआंजूज पर बिना आरत खरकाट / सक्षाम स्नट के अनुमति प्राप्त किमें सम्पर्क मार्ज निर्माण कर बन (संरक्षण) अध्यत्रीमम् 1980 का उल्लैयन



0

पामाजिक वानिकी प्रभाग भेरि⊨ अलीगढ

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 9.10 की दांयी पटरी पर ग्राम–हरदुआगंज के खसरा सं0– 176 में सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु बिना सक्षम स्तर से विधिवत् स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन से सम्बन्धित 04 बिन्दुओं की रिपोर्ट।

एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०–105) किमी० चैनेज 9.10 की दांयी पटरी पर ग्राम–हरदुआगंज के खसरा सं0– 176 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0783 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धित वनभूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव Proposal No. : FP/UP/Others/ 14131/2015 प्रकिया पूर्ण करने से पूर्व गैर वानिकी प्रयोग कर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में 4 बिन्दुओं पर रिपोर्ट निम्न प्रकार प्रेषित है।

- (1) स्थल का विवरण, भूमि का क्षेत्रफल, स्थल का विवरण, मानचित्र, अवैध रूप से पातन किये गये वृक्षों/वनस्पतियों का विवरण:-
- (A) स्थल का विवरण— अलीगढ़—रामघाट मार्ग (एम०डी०आर0—105) किमी० चैनेज 9.10 की दांयी पटरी पर ग्राम—हरदुआगंज के खसरा सं0— 176, तहसील—कोल, जनपद— अलीगढ़
- (B) भूमि का क्षेत्रफल— 0.0783 है0
- (C) मानचित्र— प्रस्तावित स्थल का मानचित्र (Layout Plan) प्रस्ताव के साथ पूर्व से ही संलग्न है।
- (D) अवैध रूप से पातन किये गये वृक्षों/वनस्पतियों का विवरण— प्रकरण में 01 वृक्ष बाधक है, जोकि मौके पर स्थित है। अतः अवैध रूप से पातन किये गये वृक्षों/वनस्पतियों की संख्या शून्य है।
- रिपोर्ट:-- एक स्पष्ट पूर्ण टिप्पणी में वर्णित की जायेगी और उसकी पुष्टि में यह दस्तावेज भेजे जायेगें जिनमें खासकर उन अधिकारियों के नाम व पद नाम होगें जो प्रथम दृष्टया अधिनियम के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी हैं।

कार्यदायी संस्था द्वारा अपने संस्था के रिटेल आउटलेट हेतु अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०–105) किमी० चैनेज 9.10 की दांयी पटरी खसरा सं० 176, ग्राम–हरदुआगंज, तहसील–कोल पर सम्पर्क मार्ग हेतु प्रस्ताव सं० FP/UP/Others/ 14131/2015 प्रस्तुत किया गया है, जो कि संस्तुति संहित आपके स्तर से नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को प्रेषित किया गया। जिस पर नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ ने पत्रांक 1972/11–सी–अलीगढ़ दिनांक 22.01.2019 द्वारा आपत्ति लगायी गयी कि ''प्रस्तावित वनभूमि के के०एम०एल० फाईल के परीक्षण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है।'' जिसका मौका निरीक्षण पर तथ्य सही पाये जाने पर, अलीगढ़ रेंज द्वारा केस सं० 33/18–19/अलीगढ़ दि० 23.02.2019 जारी कर विधिक कार्यवाही की गयी। अतः प्रकरण में निम्न अधिकारी प्रथम दृष्टया दोषी हैं।

 श्री अतुल कुमार – प्रभागीय प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लि०, (पूर्व में एस्सार ऑयल लि०), प्रथम तल, राजेन्द्र स्पेस, सेक्टर–16 बी, आवास विकास, सिकन्द्राबोदला, आगरा।

3. वन संरक्षण अधिनियम—1980 के उल्लंघन के रोकने के लिए सम्बन्धित प्रमाग के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा उठाये गये कदम का विवरण—

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग का निर्माण बिना वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में अलीगढ़ रेंज द्वारा केस सं0 33/18–19/अलीगढ़ दि0 23.02.2019 द्वारा एच02 केस इजरा किया गया है। प्रवेश मार्ग व निकास मार्ग पर संरक्षित वन भूमि 0.0783 हे0 पर पक्का मार्ग निर्माण कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा एप्रोच रोड का प्रयोग आवागमन हेतु किया जा रहा है।

E.C.Branch/Karan Batao notice/com-II

निदेशक वानिका प्रभाग सलीगट

 यदि किसी भूल—चूक जिसके कारण अधिनियम का उल्लंघन हुआ है और उत्तरदायित्व निर्धारित कर पाना सम्भव न हो तो सम्बन्धित कागजातों सहित एक पूर्ण स्पष्टीकरण रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जायेगी—

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्ष 2015 में वनभूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 29.12.2015 को निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी निर्माण कार्य प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा नहीं किया गया था। जिसके उपरांत ही प्रस्ताव प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा संस्तुति सहित दिनांक 18.03.2016 को समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। जिससे स्पष्ट है, कि प्रयोक्ता एजेंसी को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी थी। अतः प्रकरण में किसी भूल—चूल होने की सम्भावना नगण्य है।

> (एन०पी० उपाध्याय) प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़। प्रभागीय निदेशक मामाजिक वानिकी प्रभाम यानाजिक वानिकी प्रभाम यानागढ

क्रम संख्या 293 मुक रां . . 6 प्रभागीय बाद सं०. १.९. ५.२३७७ / १८-१९ वन विभाग उ०प्र० परिधि (सर्किल) वृज भूमि क्षेत्र, आगरा खण्ड (डिवीजन).....डु.ज्ल्येन्वर्ज़्यां...... IIIII INT ANT ATT A TOT I CENT - CENT שאודה יצרין בינה בינה בינה ביואר ביואר אורייריוא 3 ATOTA TO CHIER TREAT MIRAT ATTON 2- साक्षी का नाम जी एउरा राभ नाही-The segural in the antisate is the 3- कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक an and sectore - anoran - Andrede. 15.150 most and on the cooks to my othe in the former of the former of the 4- मुल्य 5– चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टोगेशन) के सम्बन्ध किर्मात्रन हे रहिन उनारन के गांगर 20/2/19 TITTE Stoffer Handarte E MA ARTON ETTE में विशेष कथन Et HERIAIN MER altry and Engand an ant 31 chair - annene de forth 6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्योरे और प्रमाण 15.150 A and area to areant sources िकिन्द्र में कि अगजर मेर को के कि יורידיד איז איזע אייול אייול אייול איייול आदि का उल्लेख YAKIN MICH में मामा 0.0768 हैं. लन न्हाक की प्रायोग है. परसीरान मानी तो रणको कारा गय असे की Sur Halfer and and anna to gather and and आ०क(० करें उग्राहि नहीं ही गई है। इन्हें , जनमे खाहा का ल 377 1927 and atter 32 (w), 32 (K) 32 (U) 78 (c ग्रमागीय निदेशक 33 (14) 200 ar digator 3081-1980-9 CATAL - 2 and the sachar tonsal and it are: Bula zarran an anoning entered 27 the · morein हितीय पते प्रति महोदा के र्य्यमार्ग एवं आव्याण हेत डेरेंग्रेग! long -में मेच प्रनाधिकारी डामाजिक व निकी प्रभाग अलीगढ रज धलंगा व

1 (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में Penalty की प्रस्तावित गणना

एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 9.10 की दांयी पटरी पर ग्राम–हरदुआगंज के खसरा सं0– 176 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0783 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 01 वृक्ष के पातन की अनुमति हेतु प्रेषित प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भारत सरकार की पूर्वानुमति के कार्य पूर्ण कराकर, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया है। उल्लंघन के सम्बन्ध में भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के बिन्दु संo B (ii) के अनुसार निम्न प्रकार Penalty की गणना की जाती

है।

4. कुल योग-

2

 1. प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रस्तावित एन0पी0वी0- प्रभावित वन भूमि (0.0783) X 6,26,000 =
 49,016.00

 2. प्रस्ताव के प्रकिया में होने के अन्तर्गत उल्लंघन किये जाने के कारण - 2x 49016 =
 98,032.00

 3. 12 प्रतिशत Simple Interest= 98,032 x 12% =
 11,764.00

1,09,796.00

(शब्दों में – एक लाख सात सौ छियान्वे मात्र)

(एन०पी० उपाध्याय) प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,

C:\Users\ok\Documents\D.Man-1\Land Transfer Projects\Retail Outlets\Pending\No inprinciple\Petrol Pump Harduaganj\Objection.doc

कार्यालय वन संरक्षक,अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ ।

/ 14--1, दिनांकःअलीगढः ०3/०५ 2019 पत्रांकः

वन (संरक्षण) रूल्स, 2003 की धारा 9 (1) के अन्तर्गत नोटिस

सेवा में.

प्रभागीय प्रबन्धक. एस्सार ऑयल लि०. आगरा ऑफिस. प्रथम तल, राजेन्द्र स्पेस, सेक्टर 16बी, आवास विकास, सिकंदरा योजना, आगरा।

विषय : संदर्भः

आठकाठ/करें

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करने की दशा में वन (संरक्षण) नियमावली के अन्तर्गत नोटिस। प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, अलीगढ़ का पत्र सं० 3288/14–10 दि० 24.03.2019

आप की संस्था द्वारा श्री महेश जैन व विकास जैन, पुत्र श्री ज्ञान चन्द जैन, निवासी– एम– 8⁄बी, महावीर पार्क, अलीगढ़ को अलीगढ़—रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०—105) किमी० चैनेज 9.10 की दांयी पूटरी खसरा संव 176, ग्राम–हरदुआगंज, तहसील–कोल में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग व 1 वृक्ष के पातन हेत् अनुमति सम्बन्धित प्रस्ताव Proposal No. FP/UP/Others/ 14131/2015 प्रेषित किया गया था। आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए, आवश्यक अभिलेखों सहित नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को प्रेषित किया गया। जिसके परीक्षण पर नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र सं० 1972/11-सी-अलीगढ़ दिनांक 22.01.2019 द्वारा आपत्ति लगायी गयी कि "प्रस्तावित वनभूमि के के०एम०एल० फाईल के परीक्षण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है।" प्रस्तावित स्थल की जांच श्री क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा की गयी, जांच रिपोर्ट के अनुसार एस्सार ऑयल लि० द्वारा बिना भारत सरकार की अनुमति के रिटेल आउटलेट को आने—जाने वाले प्रवेश मार्ग व निकास मार्ग पर 0.0783 हे० संरक्षित वन भूमि में पक्का मार्ग निर्माण कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा एप्रोच रोड का प्रयोग किया जा रहा है। स्पष्ट है कि बिना सक्षम स्तर से नियमानुसार अनुमति प्राप्त किए ही संरक्षित वन क्षेत्र में वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग करके कार्य पूर्ण किया गया है, जो कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 का उल्लाघन है।

वन कर्मियो के क्षेत्रीय निरीक्षण दिनांक 23.02.2019 के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि को अलीगढ़—रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०—१०५) किमी० चैनेज 9.10 की दांयी पटरी खसरा सं० १७६, ग्राम–हरदुआगंज पर भारत सरकार से पूर्वानुमति के बिना आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किया गया है। इस परिपेक्ष्य में अलीगढ़ रेंज द्वारा रेंज केस सं0 33/18-19/अलीगढ़ दि0 23.02.2019 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 32/33 के तहत जारी की गई।

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत वन क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य भारत सरकार ,वन पर्यावरण एवं जलवायुं परिवर्तन मंत्रालय की पूर्वानुमति के बिना नहीं कराया जा सकता है एवं आपकी संस्था द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के निर्माण कार्य करके न सिर्फ भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 32/33 का वरन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का भी उल्लंघन किया गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि 60 दिनो के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध वेन (संरक्षण) ाभागीय निदेशक अधिनियम 1980 की धारा-2 के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर सक्षम न्यायालय में धारा-3बी में आपके विरुद्ध बाद चलाया जाय? निर्धारित अवधि तक उत्तर प्राप्त न होने पर विधिक कांर्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

> (वी0के0 मिश्र) वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

un and

पत्रांक 350 2/14-1 दिनांकित । **प्रतिलिपिः**

कार्यवाही हेत् प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक N 1.5 19

(वी0के0 मिश्र) वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

Attested

सामाजिक वानिकी प्रभाग Retail Outlets Pending No Inprinciples Part Fump Harding py Objection doe

ई–मेलः cfaligarh@gmail.com

,2019

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 143४ / 2-1, विनांकःअलीगढ़ःअक्टूबर, उ०

सेवा में,

0

श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद् धनीपुर सेक्शन, अलीगढ़ रेंज।

द्वाराः— प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

विषयः- कारण बताओ नोटिस।

हिट आठकाठ को सागीय निदेशक्ल ॥

प्रभागिय निदेशका हुन्। - 19 आपकी अलीगढ़ रेंज में सेक्रुशन प्रभारी धनीपुर सेक्शन के रूप में तैनाती अवधि में एस्सीर आयल लि0 द्वारा अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०–105) किमी० चैनेज 9.10 की दांयी पटरी खसरा सं० 176, ग्राम–हरदुआगंज, तहसील–कोल में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग निर्माण सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना ही कर लिया गया है। प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करने के संबंध में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 29.12.2015 को मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लंघन प्रदर्शित नहीं था, जिसके कम में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रस्ताव उच्च स्तर को संस्तुति सहित प्रेषित किया गया।

नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र सं० 1972/11-सी-अलीगढ़ दिनांक 22.01.2019 द्वारा आपत्ति लगायी गयी कि ''प्रस्तावित वनभूमि के के०एम०एल० फाईल के परीक्षण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है।'' जिसके कम में क्षेत्रीय कर्मियों के मौका निरीक्षण दिनांक 23.02.2019, में पाया गया कि प्रस्तावित स्थल पर प्रयोक्ता एजेन्सी (एस्सार ऑयल लिमिटेड) द्वारा बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये, अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी० चैनेज 9.10 की दांयी पटरी खसरा सं० 176, ग्राम-हरदुआगंज, तहसील-कोल पर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। उक्त प्रकरण उच्च स्तर से प्रकाश में आने पर रेंज एच-2 केस संख्या-33/18-19/अलीगढ़ दि0 23.02.2019 द्वारा केस दर्ज किया गया। जिसकी पुष्टि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 23.10.2019 को प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण कर की गयी है। निरीक्षण में पाया गया कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रकरण में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कर लिया है, जिससे वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपके द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र में उक्त रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु कोई प्रयास तथा कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके कारण प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित स्थन्ल पर निर्माण कार्य कर वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग कर लिया गया। आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का परमसत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता से निर्वहन न करने व वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन हेतु दोषी है।

1980 के उल्लंघन हेतु दोषी है। E.C.Branch/Karan Batao notice/com-II

प्रशागीय गिदेशक अलीगढ इन्द्रांक 3728 काईल नंध २-) बिनाक @ S--11- 19

प्रभागीय निदेशक नामाजिक व'निकी प्रभगर अन्तेगर

etter No - EO 2/ UP-W-1657/004

सेवा में

वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

581 Date - 20/07/2020

विषय:--

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करने की दशा में वन (संरक्षण) नियमावली के अन्तर्गत नोटिस।

संदर्भः-महोदय.

आपका पत्रांक 3502/14–1 दिनांक 03.05.2019

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी० चैनेज 9.10 की दांयी पटरी पर ग्राम-हरदुआगंज के खसरा सं0- 176 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग 🔍 निर्माण हेतु 0.0783 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 01 वृक्ष के पातन की अनुमति विषयक प्रस्ताव में Letter of Appointment संo UP-W-1657 dated 23.02.2015 द्वारा श्री महेश जैन व विकास जैन, पुत्र श्री ज्ञान चन्द जैन, निवासी– एम– 8/बी, महावीर पार्क, अल्ब्रेगढ़ को निर्गत किया गया है। जिसके कम में जिला पूर्ति अधिकारी, अलीगढ़ के पत्र सं0 264/जि0पू०अ0/एन०ओ०सी/15 दिनांक 23.03.2015 द्वारा सम्बन्धित विभागों को विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु लिखा गया है। जिसके उपरांत अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, अलीगढ़ द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना/कार्य करने हेतु निर्गत की गयी अनुमति के आधार पर ही प्रस्तावित स्थल पर कार्य पूर्ण कराया गया।

प्रकरण में उल्लंघन के फलस्वरूप प्रयोक्ता अभिकरण, भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 द्वारा जारी निर्देशानुसार जो भी पेनल्टी वन विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी, का भुगतान करने को तैयार है एवं याचक विभाग बिना भारत सरकार की अनुमति के कार्य कराये जाने के फलस्वरूप जारी एच-2 केस का निस्तारण / Compound कराने हेतु जो भी पेनल्टी निर्धारित की जायेगी, उसे भी जमा करने को भी तैयार है। प्रकरण में देरी से नोटिस का उत्तर देने हेतु याचक विभाग क्षमा हेतु प्रार्थनीय है।

For NAYARA ENERGY LIMITED

नायरा एनर्जी लिमिटेड (पूर्व में एस्सार ऑयल लिमिटेड)

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। पत्रांक प्रतिलिपिः

Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Limited) World Trade Tower, 105 – 06, 11th Floor, Sector – 16, Navara Energy Limited (Former), Essar Oil Limited) World Trade Tower 4195 06, 11th Floor, Sector – 16, Noida, 201301, Uttar Pradesh, India

E04UP-W-1657/004

दिनांकित।

नायरा एनर्जी लिमिटेड (पूर्व में एस्सार ऑयल लिमिटेड)

Scanned by CamSca

दिनांक -Registered Office: Khambhalia, Post Box No.24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361 305, India Registered Office Khambhalia, Post Box No.24, Dist. Devbhumi Dwarka, Gujarat 361 305, India T 2813 2813 662444 5 5 28 33 662929 1

CIN: U11100GJ1989PLC032116 www.navaraenergy.com

उक्त की पुष्टि हेतु निम्न साक्ष्य पठनीय होंगे।

लिखित साक्ष्य:–

- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 29.12.2015 की छायाप्रति।
- 2. नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र सं० १४७२ / ११–सी–अलीगढ़ दिनांक २२.०१.२०१९ की छायाप्रति।
- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 23.10.2019 की छायाप्रति।
- भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन अलीगंज जोराबाग, नई दिल्ली के पत्रांक 11–42/2017–एफ0सी0, दिनांक 29.01.2018 की छायाप्रति।
- 5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित 04 बिन्दुओं की रिपोर्ट की छायाप्रति।

उपरोक्त के संबंध में आप अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह मानते हुए कि आपको उक्त प्रकरण में कुछ नहीं कहना है। तदानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(वी0के0 मिश्र) वन संरक्षक. अलीग्रेड वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः /2–1 समदिनांकित। प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को पत्र की 2 प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि एक प्रति वनविद् को प्राप्त कराकर प्राप्ति इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(वी0के0 मिश्र)

वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ।

Attested

मागिक वानिकी प्रभाग सलागट

ई-मेलः cfaligarh@gmail.com

,2019

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़। दिनांकःअलीगढः अक्टूबर, 🖪 D

पत्रांक 14 23 /2-1,

सेवा में,

श्री वेदप्रकाश. उप क्षेत्रीय वन अधिकारी (नि०), सम्बद्ध– कार्यालय कासगंज वन प्रभाग, कासगंज ।

प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज। द्वाराः-

विषयः— कारण बताओ नोटिस।

आपकी अलीगढ़ रेंज में प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ रेंज के रूप में तैनाती अवधि में एस्सार - ऑयल लि० द्वारा अलीगढ़--रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०–१०५) किमी० चैनेज 9.10 की दांयी पटरी खसरा सं० १७६, ग्राम—हरदुआगंज, तहसील—कोल में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना ही निर्माण कर लिया गया है। प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करने के संबंध में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांकु 29.12.2015 को मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लंघन प्रदर्शित नहीं था, जिसके कम में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रस्ताव उच्च स्तर को संस्तुति सहित प्रेषित किया गया।

नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र सं० १९७२/११–सी–अलीगढ़ दिनांक २२.०१.२०१९ द्वारा आपत्ति लगायी गयी कि "प्रस्तावित वनभूमि के के०एम०एल० फाईल के परीक्षण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है।'' जिसके कम में क्षेत्रीय कर्मियों के मौका निरीक्षण दिनांक 23.02.2019 में पाया गया कि प्रस्तावित स्थल पर प्रयोक्ता एजेन्सी (एस्सार ऑयल लिमिटेड) ्रे द्वारा बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये, अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०–105) किमी० चैनेज 9.10 की दांयी पटरी खसरा सं० 176, ग्राम–हरदुआगंज, तहसील–कोल पर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गंया है। उक्त प्रकरण उच्च स्तर से प्रकाश में आने पर रेंज एच-2 केस संख्या-33/18-19/अलीगढ़ दि0 23.02.2019 द्वारा केस दर्ज किया गया। 'जिस्नकी पुष्टि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 23.10.2019 को प्रश्नगत स्थलों का निरीक्षण कर की गयी है। निरीक्षण में पाया गया कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रकरण में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कर लिगा है. जिससे वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपके द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र में उक्त रिटेल आउटलेट के सम्पर्भ मार्ग निर्माण में वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु कोई प्रयास तथा कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके कारण प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य कर वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग कर लिया गया। आपके syette

E.C.Brauch/Karan Batao notice/com-II

मामाजिक वानिकी प्रभा X62 **श**लीगः

ुद्वारा अपने पदीय दायित्वों का परमसत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता से निर्वहन न करने व वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन हेतु दोषी है।

उक्त की पुष्टि हेतु निम्न साक्ष्य पठनीय होंगे।

लिखित साक्ष्यः–

1.

- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 29.12.2015 की छायाप्रति।
- नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0 1472/11-सी-अलीगढ़ दिनांक 22.01.2019 की छायाप्रति।
- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की निरीक्षण रिपोर्ट दिनाक 23.10.2019 की छायाप्रति।
- भारत सरकार, वंन, धर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन अलीगंज जोराबाग, नई दिल्ली के पत्रांक 11–42/2017–एफ0सी0, दिनांक 29.01.2018 की छायाप्रति।
- 5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित 04 बिन्दुओं की रिपोर्ट की छायाप्रति।
- फोटोग्राफ की छायाप्रति।

उपरोक्त के संबंध में आप अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह मानते हुए कि आपको उक्त प्रकरण में कुछ नहीं कहना है। तदानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

(वी0के0 मिश्र) वन संरक्षक. अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़। Br

पत्रांकः /4.2.3 /2-1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि– प्रभागीयैं वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज को पत्र की 2 प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि एक प्रति प्रभारी उप क्षेत्रीय वन अधिकारी (नि0) को प्राप्त कराकर प्राप्ति इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Attested

(वी0के0 मिश्र) वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

Scanned by CamScanner

अज्ञागाय ानदशक पासाजिक वानिकी प्रभाग अर्जागट कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ। पत्रांक 3564 / 2–1 ,अलीगढः दिनांकः अप्रैल, ၂) ,2019

सेवा में,

श्री परसराम, माली हरदुआगंज बीट, अलीगढ़ रेंज।

विषयः कारण बताओ नोटिस । द्वाराः क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ रेंज ।

आप अलीगढ़ रेंज में प्रभारी हरदुआगंज बीट के रूप में आपकी तैनाती अवधि में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 9.10 की दांयी पटरी खसरा सं0 176, ग्राम–हरदुआगंज, तहसील–कोल में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष के पातन हेतु अनुमति के प्रस्ताव में नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0 1972/11–सी–अलीगढ़ दिनांक 22.01.2019 द्वारा आपत्ति लगायी गयी कि "प्रस्तावित वनभूमि के के0एम0एल0 फाईल के परीक्षण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है।" जिसका पुनः अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 06.03.2019 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही उक्त प्रस्तावित स्थल पर सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य कर लिया है।

इस सम्बन्ध में आपके द्वारा उक्त संरक्षित वन पर रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु प्रयास नहीं किया। जिसके कारणवश प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य कर वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग कर लिया गया।

इस प्रकरण में आप अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें कि क्यों प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कराये गये निर्माण कार्य एवं वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु सफल प्रयास नहीं किया गया ? उक्त कार्य समयवद्ध है, उक्त के सम्बन्ध में निर्धारित समय में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय निर्णय लेने के लिये बाध्य होना पड़ेगा। जिसके लिये आप स्वय उत्तरदायी होगें।

> **(एस0डी0त्रिपाठी)** प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़। भ्रू?

पत्रांकः <u>3564</u> <u>/2–1 समदिनांकित।</u> प्रतिलिपि– क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ रेंज को पत्र की 2 प्रति इस आशय से प्रेषित कि आप एक प्रति कर्मचारी को प्राप्त कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को लौटती डाक से उपलब्ध करायें।

क वानिका प्रभाग

(एस0डी0त्रिपाठी) प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।